न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर।

उपस्थित– धीरेंद्र कुमार–III (एच.जे.एस.) आई.डी. नं. UP 6145

फौजदारी निगरानी संख्या–08/2023

CNR No. UPBU01–000310–2023

इमरान गाजी पुत्र स्व. तमिजुद्दीन, निवासी गद्दीवाडा, सिकंद्राबाद, बुलन्दशहर।
.................निगरानीकर्ता

बनाम

फुरकास अहमद पुत्र तमिजुद्दीन, निवासी गद्दीवाडा, सिकंद्राबाद, बुलन्दशहर।
..................विपक्षी

–:निर्णय:–

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, प्रकीर्ण वाद संख्या–824/2022, इमरान गाजी बनाम फुरकान, अतंर्गत धारा–156(3)दं.प्र.सं. में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बुलन्दशहर द्वारा पारित आदेश दिनांकित–07.12.2022 के विरूद्ध निस्तारण हेतु लंबित है।

2. संक्षेप में प्रस्तुत फौजदारी निगरानी से संबंधित वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के द्वारा एक अतंर्गत धारा–156(3)दं.प्र.सं. प्रतिपक्षी के विरूद्ध इन कथनों के साथ विद्वान विचारण न्यायालय के सम्मुख योजित किया गया कि

3. शिकायतकर्ता इमरान गाज़ी एवं फुरकान अहमद के मध्य संपन्न पंजीकृत उपहार विलेख (Gift Deed) का निष्पादन विधिवत किया गया था। उक्त उपहार विलेख के पंजीकरण के समय उप–पंजीयक कार्यालय में फुरकान अहमद का फोटो, अंगूठे के निशान (फिंगरप्रिंट), डिजिटल स्कैन किए गए फिंगरप्रिंट तथा वास्तविक समय का फोटोग्राफ लिया गया था। इसके उपरांत उक्त संपत्ति का नामांतरण (दाखिल–खारिज) भी सक्षम तहसीलदार द्वारा विधिवत सुनवाई एवं कार्यवाही के पश्चात आदेश दिनांक–17.03.2021 के माध्यम से शिकायतकर्ता के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त संपत्ति का वैध स्वामी बनने के पश्चात शिकायतकर्ता ने संपत्ति के कुछ भाग विभिन्न सद्भावनापूर्ण (Bona Fide) क्रेताओं को विधिवत विक्रय कर दिए तथा उन्हें उनके क्रय किए गए हिस्सों का कब्जा भी प्रदान कर दिया। फुरकान अहमद उक्त संपत्ति का स्वामी नहीं रह गया था, जिनमें अंतिम हस्तांतरण विलेख दिनांक 07.01.2019 को निष्पादित किया गया। इसके अतिरिक्त फुरकान अहमद वर्ष 2017 एवं 2018 में भी उक्त भूमि का कुछ भाग अन्य सद्भावनापूर्ण क्रेताओं के पक्ष में विक्रय कर चुका था। इसके बावजूद फुरकान अहमद ने अनुचित लाभ प्राप्त करने की दुर्भावनापूर्ण मंशा से उसी भूमि, जिसका क्षेत्रफल 0.1672 हेक्टेयर है तथा जिसमें 0.1062 हेक्टेयर भूमि भी सम्मिलित है, के संबंध में श्री ललित शर्मा, पुत्र श्री वेद प्रकाश शर्मा, निवासी चौधरीवाड़ा–6, सिकन्द्राबाद के पक्ष में एक अवैध, कपटपूर्ण एवं धोखाधड़ीपूर्ण विक्रय अनुबंध निष्पादित कर दिया, जबकि वह उक्त संपत्ति का स्वामी अथवा हस्तांतरण का अधिकारी नहीं था।

4. प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत किये गये अतंर्गत धारा–156(3)दं.प्र.सं. को आदेश दिनांकित–07.12.2022 के माध्यम से परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। उक्त आदेश दिनांकित–07.12.2022 के विरूद्ध ही उक्त निगरानी निस्तारण हेतु लंबित है।

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR
Date: 2026.07.17 15:41:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. संक्षेप में प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्ता की तरफ से यह कथन किया गया है कि विद्वान न्यायालय का आदेश अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण है। विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है। प्रार्थी को धमकाने एवं भयभीत करने वाले हथियारों की बरामदगी तथा अपराध में शामिल अज्ञात अभियुक्तगण की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस विवेचना पूर्णतः आवश्यक है। जहाँ एक ओर माननीय मजिस्ट्रेट ने यह अभिमत व्यक्त किया कि जालसाजी, गैंगस्टरों एवं हिस्ट्रीशीटरों की सहायता से भूमि हड़पने का प्रयास तथा हथियारों का प्रदर्शन संबंधी आरोप दीवानी प्रकृति के हैं, वहीं दूसरी ओर उसी शिकायत पर अपराध का सज्ञान लेते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–200 के अंतर्गत शिकायतकर्ता का परीक्षण करने का निर्णय लिया। माननीय मजिस्ट्रेट ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पुलिस विवेचना को समाप्त कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–200 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु अपने विवेकाधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग किया तथा ऐसा अभिमत बनाया जो न्यायिक मस्तिष्क के अभाव को प्रदर्शित करता है। माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–1, बुलन्दशहर ने मनमाने तरीके से आदेश दिनांक 07.12.2022 पारित कर इस प्रकरण में विवेचना कराया जाना आवश्यक न समझते हुए प्रार्थना–पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही अग्रसारित की गयी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत पुलिस द्वारा विवेचना दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के संकलन के लिए आवश्यक एवं अपरिहार्य है, जबकि माननीय मजिस्ट्रेट ने केवल मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करना ही उचित समझा। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तथ्यों के विपरीत होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–07.12.2022 को निरस्त करने की प्रार्थनापत्र की गयी है।

6. **पूर्व दिनांक पर निगरानीकर्ता व प्रतिपक्षी अनुपस्थित रहे। राज्य की ओर से विद्वान ए.डी.जी.सी. को सुना। पक्षकारगण को लिखित अथवा मौखिक तर्क प्रस्तुत करने हेतु नियत दिनांक तक का समय प्रदान किया गया, इसके बावजूद भी उनकी ओर से तर्क प्रस्तुत करने हेतु नियत समयावधि तक कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली पर उपलब्ध सबूत/साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।**

7. पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156(3)दं.प्र.सं. में उल्लिखित कथनों के आधार पर मामला सिविल प्रकृति और मामले को बढा–चढाकर प्रस्तुत करना मानते हुए आदेश दिनांक–07.12.2022 के माध्यम से परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। सुस्थापित विधि है कि निगरानी न्यायालय को फौजदारी निगरानी का निस्तारण करते समय तथ्यों के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, केवल फौजदारी निगरानी न्यायालय निगरानी के माध्यम से आदेश की वैधानिकता के विषय में अपना निष्कर्ष अभिलिखित कर सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि धारा–156(3)दं.प्र.सं. के अधीन कोई प्रार्थनापत्र अपराध पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु मजिस्ट्रेट/न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट/न्यायालय के पास यह विकल्प है कि यदि प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों में संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है तो वह अपराध पंजीकृत करा सकता है अथवा उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है। यदि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो वह आवश्यक जाँच के पश्चात प्रार्थनापत्र को खारिज कर सकता है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित–07.12.2022 पूर्णतः विधिक रूप से पारित किया गया है। निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में उठाये गये बिंदुओं

के आधार पर आलोच्य आदेश दिनांकित–07.12.2022 में हस्तक्षेप करने का औचित्यपूर्ण आधार नहीं है। तद्नुसार निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गयी निगरानी बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

8. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या–08 सन् 2023, इमरान गाजी बनाम फुरकान अहमद आदि निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित– 07.12.2022 पुष्ट किया जाता है।

9. इस आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को सूचनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

10. निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–17.07.2026

(धीरेंद्र कुमार तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
बुलन्दशहर।
जे.ओ. कोड सं.–6145

11. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनायाा गया।

दिनांक–17.07.2026

(धीरेंद्र कुमार तृतीय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
बुलन्दशहर।
जे.ओ. कोड सं.–6145

गगनदीप–आशुलिपिक